भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *190

05.08.2024 को उत्तर के लिए

वनीकरण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना

***190. श्री योगेन्द्र चांदोलिया :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में वनीकरण और पुनर्वनीकरण संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वृक्षारोपण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय वन नीति, 2018 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) सरकार द्वारा मौजूदा वनों के संरक्षण और परिरक्षण तथा वनों की कटाई और भूमि अवक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में वनीकरण और पुनर्वनीकरण के प्रयासों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

स्थिति सं. 10

'वनीकरण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 05.08.2024 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *190 के पैरा (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 के अनुसार, कुल भूमि क्षेत्र के न्यूनतम एक तिहाई भाग को वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) एनएफपी, 1988 के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) देश में वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें करता आ रहा है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप किए जाते हैं। यह मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को वृक्षारोपण करने और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने इस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत निर्धारित किए गए आठ मिशनों में से एक है जिसका लक्ष्य सहभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से भारत के वन आवरण की सुरक्षा, पुनर्बहाली और उसका संवर्धन करना है।

नगर वन/वाटिका विकसित करके शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थल सृजित करने के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई) क्रियान्वित की जाती है। नगर वन/वाटिका, शहरों/कस्बों के भीतर अथवा इसके आस-पास के वन और संबद्ध सरकारी भूमि को अवक्रमण और अतिक्रमण से बचाने में भी मदद करती है। यह स्कीम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

छात्रों को प्राकृतिक पारि-प्रणाली को कायम रखने और संधारणीय बनाए रखने में पौधों के महत्व को समझने और उसकी सराहना करने में समर्थ बनाने के लिए स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई) क्रियान्वित की जा रही है। यह स्कीम राज्य बोर्डों/केन्द्रीय सरकार के बोर्डों द्वारा मान्यता-प्राप्त सार्वजनिक और निजी स्कूलों में क्रियान्वित की जाती है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंध के अनुसार गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के कारण वन और पारि-प्रणाली लाभों की हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के अंतर्गत निधियों का उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर व्यापक वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है और विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालाओं, ब्रोशरों, सूचना पट्टों आदि के माध्यम से जनता के बीच वृक्षारोपण और वनों के संरक्षण के बारे में जानकारी का प्रसार करता है।

(घ) राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी) 1988 में यह परिकल्पना की गई है कि कुल भूमि क्षेत्र के न्यूनतम एक तिहाई भाग को वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत आच्छादित किया जाना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (आईएसएफआर) के अनुसार, वर्तमान आकलन से पता चलता है कि वर्ष 2019 के गत आकलन की तुलना में भारत के वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि हुई है और वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

(ङ) भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पारिस्थितिकीय संवेदनशील ज़ोन संबंधी अधिसूचना; जैविक विविधता अधिनियम, 2002; तटीय विनियमन ज़ोन (सीआरज़ेड) अधिसूचना, 2019 जैसे केंद्रीय सरकार के विभिन्न अधिनियमों और नियमों तथा अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट अधिनियमों से मौजूदा वनों को संरक्षित और परिरक्षित करने तथा निर्वनीकरण और भूमि अवक्रमण को रोकने में मदद मिलती है।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में वनीकरण कार्यकलापों के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत मंत्रालय द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

'वनीकरण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 05.08.2024 को उत्तर के लिए श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *190 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

विगत तीन वर्षों में विभिन्न स्कीमों के तहत आवंटित निधियों का ब्यौरा।

(रुपए करोड़ में)

स्कीम	2021-22		2022-23		2023-24	
	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां
हरित भारत मिशन (जीआईएम)*	156.46	138.79	137.29	178.79	112.28	64.12
नगर वन योजना (एनवीवाई)	159.69	112.40	134.13	93.89	120.50	93.39
स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई)	2.24	1.56	4.39	3.07	-	-
प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा)	9161.15	5896.31	8481.34	6149.85	7293.23	5205.12
पारि विकास कार्य बल स्कीम	110.00	110.00	80.00	80.00	64.34	64.34

* उपयोग की गई निधि में वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले जारी की गई निधि से उपगत व्यय को भी शामिल किया गया है।

*****